

मूल वाद में डिक््री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर
पीठासीन अधिकारी :- श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

क्रमांक नम्बर :- 159/2016

1. भागीरथमल पुत्र जोधा (फोट)
- 1/1 कमलादेवी पत्नी भागीरथमल
- 1/2 राजेश कुमार जांगिड पुत्र भागीरथमल
- 1/3 राकेश कुमार जांगिड पुत्र भागीरथमल
- 1/4 विनोद कुमार जांगिड पुत्र भागीरथमल

समस्त जाति जांगिड निवासीगण शिवनगर तन गुंगारा तहसील व जिला सीकर

बनाम

1. गोर्धन पुत्र जोधा
2. नागरमल पुत्र जोधा
- समस्त जाति जांगिड ब्राहमण निवासीगण शिवनगर तन गुंगारा तहसील व जिला सीकर
3. संतोष देवी पुत्री जोधा पत्नी ताराचन्द जाति जांगिड ब्राहमण निवासी हाल रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरावाटी जिला झुंझुनू
4. मंजूदेवी पुत्री जोधा पत्नी आनन्दीलाल जाति जांगिड ब्राहमण निवासी हाल तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर
5. रूडी देवी पत्नी स्व ईशराराम
6. रूघनाथ पुत्र स्व ईशराराम
7. छगनलाल पुत्र स्व ईशराराम
8. कमलेश पुत्र स्व ईशराराम
- समस्त जाति जांगिड ब्राहमण निवासीगण शिवनगर तहसील व जिला सीकर
9. प्रहलाद पुत्र स्व घडसी जाति जांगिड ब्राहमण निवासी शिवनगर तहसील व जिला सीकर
10. बनारसी पुत्री घडसी पत्नी मुलचन्द जाति जांगिड ब्राहमण निवासी हाल आसलसर तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
11. मूलीदेवी पुत्री घडसी पत्नी नरसी जाति जांगिड ब्राहमण निवासी हाल चन्दा का की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
12. तहसीलदार सीकर

प्रतिवादीगण

तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक:- भू.अ./2023/2923
दिनांक 18.07.2023 के अनुसार वकील उभयपक्ष की सहमति से अन्तिम डिक््री दी जाती

है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा

लगाकर दी गई।



(जय कौशिक)

उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प	2.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	36.00
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	14.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	36.00	प्लीडर की फीस	
..... रुपये पर प्लीडर की		साक्षियों के लिए निर्वाह	
फीस		व्यय	
साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	12.00	आदेशिका की तामील	
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
आदेशिका की तामील	64.00	जोड़	36.00
जोड़			



उपखण्ड अधिकारी सीकर

